-1-

114

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग 3457 I-16
3457-I16

दिनांक 4-10-16 को श्री अजय श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
4-10-16

1. रामप्रसाद तनय छुंदा धोबी
2. कालीचरन रामप्रसाद धोबी
3. हरचरन रामप्रसाद धोबी
4. शिवचरन तनय रामप्रसाद धोबी

सभी निवासी चकरपुर तह. ओरछा
जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.......आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ....अनावेदक

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय तहसीलदार ओरछा के नामांतरण पंजी क्रमांक 15 में पारित आदेश दि. 22–06–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि खसरा नंबर 291/2/2 रकवा 2.047 आरे छुंदा तनय धनुआ धोबी जो कि आवेदक क्र.1 के पिता एवं आवेदक क्र.2 के बावा है जिन्होंने आवेदकगण को रजिस्टर्ड वसीयत दिनाँक 22.11.2010 को निष्पादित कर 2/5 हिस्सा आवेदक तथा शेष 3/5 हिस्सा अनावेदकगण को किया था जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष नामांतरण किया जाना था किंतु विचारण न्यायालय तहसीलदार ओरछा द्वारा उक्त भूमि की फौती दर्ज करते हुए प्रश्नगत आदेश निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

15-7
4.10.16

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

3. यह कि, विचाराधीन प्रकरण में वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत रूप से उपपंजीयक निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के समक्ष उपस्थित रहकर अपने हक व हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनाँक 22.11.2010 को अपने जीवन काल में पूर्ण होशोहवास में निष्पादन किया था जिसके आधार पर वसीयत ग्रहीता आवेदकगण नामांतरण के अधिकारी है।

27/4/2016

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3457/I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2016	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गये। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार ओरछा के नामांतरण पंजी क्रमांक 15 में पारित आदेश दिनांक 22—06—2016 के विरूद्व म0प्र0 भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि खसरा नं. 291/2/2 रकवा 2.047 आरे छुंदा तनय धनुआ धोबी जो कि आवेदक क्र.1 के पिता एवं आवेदक क्र.2 के बावा है जिन्होंने आवेदकगण को रजिस्टर्ड वसीयत दिनाँक 22.11.2010 को निष्पादित कर 2/5 हिस्सा आवेदक तथा शेष 3/5 हिस्सा अनावेदकगण को किया था जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष नामांतरण किया जाना था किंतु विचारण न्यायालय तहसीलदार ओरछा द्वारा उक्त भूमि की फौती दर्ज करने का आदेश पारित किया है इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— उनका यह भी तर्क है कि वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत रूप से उपपंजीयक निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के समक्ष उपस्थित रहकर अपने हक व हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनाँक 22.11.2010 को अपने जीवन काल में पूर्ण होशोहवास में निष्पादन किया था जिसमें उल्लेखित साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उसके वैद्य होने की पुष्टि की थी। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पृथक—पृथक आदेश पारित करते हुए वसीयतनाम के आधार पर नामांतरण न कर आदेश दि.22.06.09 के आधार पर प्रकरण निरस्त किया है इस कारण उन्होंने तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।	

[क्र. प. उ.

R-3457/I/16 टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोक़न किया। इस प्रकरण में आवेदकगणों द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनाँक 22.11.2010 के आधार पर नामांतरण की मांग किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर फौती वारसान की कार्यवाही बावत् आदेश दिनाँक 22.06.16 का आधार लेते हुए आवेदक का आवेदन दिनाँक 23.09.2016 को निरस्त किया है। जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता छुंदा द्वारा आवेदक क्र.1 के पक्ष में 2/5 व शेष अनावेदक गण के पक्ष में 3/5 भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया है जिसमें उल्लेखित साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उसके वैद्य होने की पुष्टि की है। वसीयतनामा रजिस्टर्ड होने से राजस्व न्यायालयों को उसकी वैधता को प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं है ऐसी अधिकारित व्यवहार न्यायालय को है। इस कारण तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश दि. 22.0616 निरस्त करते हुए निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य